

मध्यप्रदेश शासन  
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग  
मंत्रालय भोपाल.

क्रमांक/डी-17-16/2018/14-3  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 16 जनवरी, 2019

समस्त कलेक्टर्स  
मध्यप्रदेश ।

विषय:- "जय किसान फसल ऋण माफी योजना" के संबंध में जिलों से प्राप्त प्रश्नों (queries) पर Frequently Asked Questions (FAQ) के समाधान के संबंध में प्रश्न क्रमांक-12 का संशोधन विषयक।

संदर्भ:- विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 09 जनवरी, 2019।

—00—

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के बिन्दु क्रमांक-12 के समाधान अन्तर्गत उल्लेखित जानकारी का संशोधित समाधान निम्नानुसार है:-

क्र.	प्रश्न	संशोधित समाधान/ उत्तर
12.	1 अप्रैल, 2018 से 12 दिसम्बर 2018 के मध्य बैंको द्वारा वितरित अल्पकालीन ऋण माफ होगा अथवा नहीं ?	जिन किसानों का दिनांक 31 मार्च, 2018 को Current Outstanding Loan अथवा NPA/ कालातीत ऋण राष्ट्रीकृत एवं सहकारी बैंकों में बकाया था तथा उनके द्वारा दिनांक 12 दिसम्बर, 2018 तक वापिस जमा कर पुनः फसल ऋण लिया गया है, उन्हें भी योजना का लाभ दिया जावेगा।

कृपया उक्तानुसार समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करें।

(जितेन्द्र सिंह परिहार)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग